कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक–नोडल पदाधिकारी, आरटीई, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

–ःसूचनाः–

निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में आरक्षित सीट पर नामांकन संबंधी आवश्यक सूचना–

एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत आरक्षित सीट पर नामांकन हेतु बच्चों का आवेदन आनलाईन पोर्टल– http://rteeastsinghbhum.com के माध्यम से भरा गया है।

1. सूचित किया जाता है कि आनलाईन पोर्टल पर आवेदन के साथ संलग्न कुल 208 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र एवं 28 बच्चों के अभिभावक का आय प्रमाण पत्र अस्पष्ट (Not Clear/Blurred/Not Visible) है। जिस कारण उनके प्रमाण–पत्र का सत्यापन नहीं किया जा सका है। संबंधित बच्चे का आरटीई फार्म संख्या सहित सूची उक्त पोर्टल पर आपलोड कि गई है। पोर्टल पर प्रदर्शित सूची अनुसार उनके अभिभावकों/पालकों से अनुरोध है कि **स्थान :– कार्यालय–जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर पताः– स्टॉकिंग रोड, ब्लड बैंक के सामने, धतकीडीह में दिनांक 21.03.2026 से 25.03.2026 तक समयः–10:00 बजे पूर्वाहन् से 05:00 बजे अपराहन्** तक अपने बच्चे का जन्म प्रमाण/आय प्रमाण पत्र की स्वच्छ प्रति जमा करें, ताकि उक्त प्रमाण पत्र सत्यापित किया जा सके। निर्धारित समय पर उक्त प्रमाण–पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अभिभावक की होगी।

2. साथ ही साथ पोर्टल पर भरे गये आवेदन में त्रुटी सुधार जैसे--(क) नाम के स्पेलिंग (ख) जन्म तिथि गलत अंकित हो जाना (ग) घर से निकटतम स्कूल का पुनः चयन हेतु पोर्टल को दिनांक **21.03.2026 से 25. 03.2026 तक** तक के लिए लाईभ करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में पोर्टल पर जाकर अपना फार्म संख्या एवं मोबाईल संख्या दर्ज कर त्रुटी सुधार किया जा सकता है।

UKP 19/3/26

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह
नोडल पदाधिकारी,आर0टी0ई,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

19/03/26